प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला ओपी एसीबी सीकर, थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर वर्ष 2023.....
प्र0सू0रि0 सं. .....63/2023..... दिनांक .....18/3/2023.....

2.(i) अधिनियम....भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारायें ..... 7 ...
(ii) अधिनियम.....धारायें.....
(iii) अधिनियम..... धारायें.....
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.....319..... समय .....2:00 Pm.....
(ख) अपराध घटने का दिन शुक्रवार दिनांक :– 17.03.2023 समय ....04.15 पीएम .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– कस्बा मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– चौकी से उत्तर दिशा में करीब 40 किलोमीटर
(ब) पता :– जवाहरजी के पेट्रोल पम्प के पास मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री कृष्ण कुमार मीणा
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री गीदाराम मीणा
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 36 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता– ..... भारतीय .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– निवासी चुड़ी चतरपुरा पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं .....

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
श्री बलवीरसिंह पुत्र श्रीराम, जाति मीणा, उम्र–42 वर्ष, निवासी देरवाला पुलिस थाना सदर जिला झुंझुनूं हाल कानि. नं. 236 पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... रिश्वती राशि 10,000 रूपये.....

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, ए.सी.बी. सीकर विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरा नाम कृष्ण कुमार मीणा पुत्र गीदाराम मीणा निवासी चुड़ी चतरपुरा जिला झुन्झुनूं है। मैं विदेश में मजदूरी करता हूँ मेरी पत्नि और मेरी दो बच्ची अकेली घर पर रहती है 16 अक्टुबर 2022 को मेरी पत्नि खेत में लकड़ी लेने गई तो मेरे भाई की औरत सुमन देवी व बेटा विकास मेरी पत्नि के साथ मारपीट की। मेरी पत्नि ने पुलिस थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवाई फिर वहॉ पुलिस कास्टेबल बलवीर सिंह मीणा मेरे से मेरी पत्नि से पैसो की डिमांड करने लगा तो मेरी पत्नि ने उसको दस हजार रूपये जरिये फोन पे भेज दिया। जिसका रिकार्ड मेरे पास है दस हजार रूपये लेकर भी उसने कोई कारवाई नहीं की। मैं 15 जनवरी 2023 को विदेश से घर आया तो मेरे साथ भी वो ही घटना हो गई की भाभी के भाई और भाण्जा मेरा पिछा करता है। मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। तो 26 फरवरी 2023 को मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो फिर बलवीर ने मेरे से पैसो की डिमांड करी है और मेरे से रोज शराब और मटन लाने को बोलते है। 15दिन तक मैंने शराब और मटन दिया लेकिन फिर वो पैसो की डिमांड करता है। बलवीर सिपाही कहता

है कि एसएचओ को मैंने 5700रूपये की ड्रेस व 3000रूपये की मिठाई व 1000की चप्पल लाकर दी है। वह रूपये भी देने पड़ेगे बाद में कार्यवाही करूगां। मैं उसको रिश्वत राशि नही देकर रूपये देते पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी रिपोर्ट दिनांक 26.02.2023 की सिपाही के पास है। उसमें बगैर पैसो के कोई कार्यवाही नही कर रहा है। रिपोर्ट करता हूँ की भ्रष्टाचारी को पकड़ने की कृपा करें। दिनांक 16.03.2023, एसडी–कृष्ण कुमार मीणा पुत्र गीदाराम मीणा ग्राम चुड़ी चतरपुरा जिला झुन्झुनूं 7340502958, एसडी–श्री सुरेशचन्द पु0नि0 दिनांक 16.03.2023, एसडी–सुभाष कुमार दिनांक 17.03.2023, एसडी–कैलाशचन्द दिनांक 17.03.2023

कार्यवाही पुलिस

16.03.2023

02.30 पीएम इस समय परिवादी श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री गीदाराम मीणा, जाति मीणा, उम्र–36 वर्ष, निवासी चुड़ी चतरपुरा पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं ने मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। प्रार्थना में अंकित तथ्यो से प्रथम दृष्टया मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाता है। अतः रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन से जैसी स्थिति होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। एसडी–सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक दिनांक 16.03.2023

परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत लेनदेन का बनना पाया जाने पर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के मंगवाया जाकर परिवादी कृष्ण कुमार को टेप रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई गई। उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर पृथक से तैयार की गई। टेप रिकार्डर श्री रामनिवास कानि. को सुपुर्द कर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी के साथ रवाना मुकन्दगढ किया गया। उसी दिन समय करीब 05.50 पीएम पर परिवादी कृष्ण कुमार ने म्न पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर जरिये वाटसअप कॉल कर बताया कि मैंने पुलिस थाना मुकुन्दगढ में श्री बलवीर सिंह कानि. से बात की तो उसने मेरा कार्य करवाने की एवज में दस हजार रूपये पहले के एवं पॉच हजार रूपये कानजी के नाम से कुल पन्द्रह हजार रूपये की मांग कर कल देने की कही है। मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से मैं सीकर नहीं आ सकता। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को कल दिनांक 17.03.2023 को 09.30 एएम पर कार्यालय में आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पन्द्रह हजार रूपये साथ लेकर उपस्थित होने की कही एवं श्री रामनिवास कानि. को परिवादी को वही छोड़कर आने की मुनासिब हिदायत दी गई। उसी दिन दिनांक 16.03.2023 को समय करीब 7.00 पीएम पर श्री रामनिवास कानि. उपस्थित कार्यालय आया एवं मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि " मुकुन्दगढ में पुलिस थाना के बाहर पहूँच मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया, जिस पर परिवादी टैप रिकार्डर लेकर पुलिस थाना मुकुन्दगढ में अन्दर चला गया तथा परिवादी के पुलिस थाना से वापिस बाहर आने पर मैने टेप रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर लिया।" टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा जरिये वाटसअप कॉल बताये गये कथनों की पुष्टि होती है। डिजिटल टेप रिकार्डर को सुरक्षित आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 17.03.2023 को परिवादी श्री कृष्णकुमार अग्रिम कार्यवाही करने उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मेरे पास दस हजार रूपयों की ही व्यवस्था हुई। परिवादी ने रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि दस हजार रूपये लाने की कही। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. को कार्यालय सहायक अभियंता अ.वि.वि.नि.लि सीएसडी–तृतीय सीकर भिजवाकर श्री सुभाष कुमार वाणिजिक सहायक प्रथम एवं श्री कैलाश चन्द सहायक प्रशासनिक अधिकारी को तलब किया गया। कार्यालय में मौजूद परिवादी का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मामलें में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी कृष्ण कुमार द्वारा दौराने रिश्वत की मांग सत्यापन दिनांक 16.03.2023 को आरोपी श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया,

जिसको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी कृष्ण कुमार ने स्वंय की व आरोपी श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी श्री कृष्ण कुमार ने हिदायत देने पर आरोपी श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले नोट पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HG 100713
2–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1GW 148180
3–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2VA 652847
4–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6BK 219766
5–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CP 551761
6–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3UR 810420
7–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7ME 657679
8–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1VC 951625
9–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0ES 027356
10–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2HW 103372
11–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BV 922935
12–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HB 447515
13–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CR 007466
14–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PQ 276634
15–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2TN 974532
16–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5FS 353253
17–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1TB 599592
18–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KR 739087
19–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KQ 921611
20–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3DC 802024

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। गवाह श्री सुभाष कुमार से परिवादी श्री कृष्ण कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 10,000 रूपयों के नोट श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्री सुरेशचन्द कानि. चालक नं. 60 के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का

डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री कृष्ण कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय करीब 03.03 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी कृष्णकुमार मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुभाष कुमार एवं श्री कैलाशचन्द, कार्यालय स्टाफ के श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री मूलचन्द कानि., श्री रामनिवास कानि., श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्रीमती मंजू महिला कानि., श्री अमित कुमार कनिष्ठ सहायक के जरिये सरकारी वाहन मय ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर के रवाना होकर समय 3.39 पीएम पर गांव बेरी के पास पहूॅचा, जहॉ परिवादी के मोबाइल नम्बर 0097333702958 से श्री बलवीरसिंह के मोबाईल नम्बर 9782447900 पर व्हाट्सअप कॉल लगवाकर वार्ता करवाई तो श्री बलवीरसिंह ने मुकन्दगढ मंडी के पास पेट्रोल पम्प के पास आने की कही, उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के बेरी से रवाना होकर समय करीब 4.00 पीएम पर कस्बा मुकुन्दगढ मण्डी में जवाहरजी के पेट्रोल पम्प के पास मुख्य सड़क पर पहूॅचा, जहॉ परिवादी को पेट्रोल पम्प के पास मुकिम होने हेतु रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि. एवं श्री रामनिवास कानि. के पेट्रोल पम्प के आस–पास मुकिम हुये। शेष ट्रेप पार्टी सदस्य वाहनों में मुकिम हुये। समय करीब 4.15 पीएम पर कस्बा मुकुन्दगढ मण्डी में जवाहरजी के पेट्रोल पम्प के पास मुख्य सड़क पर मुकिम मन् पुलिस निरीक्षक को एक व्यक्ति पुलिस की सफेद मोटरसाईकल से झुन्झुनूं रोड की तरफ से आता हुआ पेट्रोल पम्प के सामने खड़े परिवादी के पास रूक गया और मोटरसाईकिल पर बैठे–बैठे ही बातचीत करने लग गया तथा परिवादी संजय मिष्ठान भंडार की दूकान की तरफ गया तथा वहॉ से एक अखबार लाकर मोटरसाईकल पर बैठे व्यक्ति को दिया जिस पर परिवादी ने अपनी जेब से रखे रिश्वती नोट निकालकर मोटरसाईकल पर बैठा उक्त व्यक्ति को दिये जिसने रूपयों की थैई को अखबार में रखकर अखबार को पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रख लिये तथा परिवादी से वार्ता करने लग गया, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई, श्री कैलाशचन्द कानि. एवं श्री रामनिवास कानि. को साथ लेकर मोटरसाईकल पर बैठे उक्त व्यक्ति के पास पहूॅचा जहॉ परिवादी मोटरसाईकल के पास खड़ा मिला। परिवादी ने अपने पास मोटरसाईकल पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ''यहीं बलवीरसिंह है, जिसने अभी–अभी मेरे से दूकान से अखबार मंगवाकर उस अखबार में रिश्वती राशि के नोटों को मेरे से रखवाकर अपने पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखे है। परिवादी ने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया जिये सुरक्षित रखा गया। रिश्वत की मांग की पुष्टि होने पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री रोहिताश्वसिंह एएसआई ने उक्त व्यक्ति का दाहिना हाथ तथा श्री रामनिवास कानि. ने उक्त व्यक्ति का बांया हाथ कलाईयों के उपर से पकड लिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम बलवीरसिंह कानिस्टेबल नं. 236 पीएस मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं होना बताते हुये कहा कि ''मैने तो वैसे ही रूपये लिये है'' किस बात के रूपये लिये बाबत पूछने पर श्री बलवीर सिंह कानि. ने कोई जबाब नहीं दिया। मौके पर परिवादी ने आरोपी बलवीरसिंह कानि. के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि ''ये झूॅठ बोल रहे है, मैने मेरे परिजनों के खिलाफ पुलिस थाना मुकन्दगढ में दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिये मेरे से कल दिनांक 16.03.2023 को 15,000 रूपये रिश्वत के देने की कही, जिसमें जांचकर्ता कानजी के लिये 5000 रूपये तथा थानेदारजी की ड्रेस के लिये 6000 रूपये, 3000 रूपये मिठाई के तथा थानेदारजी की सैण्डल के 1000 रूपये रिश्वत के मांगे थे, आज मेरे पास 10,000 रूपये की व्यवस्था होने पर इनको दस हजार रूपये रिश्वत के दिये है, जो इन्होने मेरे से दूकान से अखबार मंगवाकर उसमें रखकर अपने पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखे है।'' मौके पर भीड–भाड होने के कारण आरोपी कानि. की मोटरसाईकल को हमरा लिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को साथ लेकर आरोपी कानि. को उसी स्थिति में पकडवाये हुये वाहन में बैठाकर पुलिस थाना मुकन्दगढ पहूॅच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। तत्पश्चात गवाह श्री कैलाशचन्द से आरोपी बलवीरसिंह कानि. की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से अखबार का बंडल निकलवाया गया, जिसमें पॉच–पॉच सौ रूपयों के नोटों की थेई दिखाई दी। अखबार से उक्त नोटों को दोनों गवाहान से गिनवाया गया तो कुल दस हजार रूपयों पाये गये, इन नोटों के नम्बरों का

मिलान पूर्व में बनी फर्द पेशकसी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। बरामद शुदा नोटों के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द में अंकित करवाकर कुल 10,000 हजार रूपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों एवं एक कांच के गिलास को साबून व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला उस रंगहीन घोल में आरोपी बलवीरसिंह कानि. की जेब से निकाले गये अखबार जिसके अन्दर से रिश्वती राशि बरामदगी स्थान का रूई के फौवे से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क ए–1 एंव ए–2 अंकित किया गया। अखबार जिस पर दैनिक भाष्कर झुंझुनूं बुधवार एक मार्च 2023 पृष्ठ संख्या 5 अंकित है, से संबंधित दूसरे पृष्ठ का टूकडा संजय मिष्ठान भंडार की दूकान से मंगवाकर उसका मिलान किया गया तो दूसरा पृष्ठ संख्या 4 पाया गया अर्थात अखबार के दोनों टूकडे एक ही अखबार के पाये गये। उक्त दोनों अखबार के टूकडों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर अखबार एवं रूई के फौवे को एक कागज के लिफाफे में सीलचीट कर मार्क ''बी'' अंकित कर जप्त किया गया।

तत्पश्चात परिवादी से संबंधित परिवाद एवं परिवाद रजिस्टर को श्री कानाराम एचसी के मार्फत मंगवाकर आरोपी बलवीरसिंह कानि. को अवलोकन करवाया गया। आरोपी बलवीरसिंह ने पूछने पर बताया कि ''श्री सतेन्द्रसिंह एएसआई ने दिनांक 28.02.2023 को जांच करने हेतु परिवाद मेरे नाम की थी जिस पर मैने परिवाद रजिस्टर के तृतीय पार्ट के क्रम संख्या 92 दिनांक 28.02.2023 को मैने स्वयं श्री कानाराम एचसी के नाम इन्द्राज किया था। मौके पर श्री कानाराम एचसी 2546 पीएस मुकन्दगढ को पूछने पर बताया कि ''मै थाने का एचएम का कार्य देखता हूँ तथा श्री बलवीरसिंह कानि. 236 सहयोगी के रूप में मेरे पास कार्य करता है, यह परिवाद मेरे नाम से बलवीरसिंह कानि. ने कब चढाई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है'' श्री कानाराम एचसी को आरोपी श्री बलवीरसिंह कानि. द्वारा परिवादी से मांगे गये 5000 रूपये रिश्वत के बारे में पूछने पर बताया कि ''मैने बलवीरसिंह कानि. को कोई रूपये लेने के लिये नहीं कहा है, ना मै परिवादी कृष्णकुमार को जानता हूँ। मौके पर परिवादी ने भी श्री कानाराम एचसी द्वारा कोई रिश्वत की मांग नहीं किया जाना बताया। आरोपी श्री बलवीरसिंह ने पूछने पर बताया कि ''मैने थानेदारजी सरदारमलजी को करीब पन्द्रह दिन पूर्व मुकन्दगढ मंडी के पास बने पेट्रोल पम्प के सामने शुभम नाम की दुकान से पेन्ट शर्ट लाकर दिये थे, जो उनके सरकारी आवास में रखे है, जिनके रूपये ही मैने श्री कृष्णकुमार को बताये थे'' मौके पर श्री सरदारमल थानाधिकारी मुकन्दगढ की तलाश करवाई तो उदयपुरवाटी जाना ज्ञात हुआ। पुलिस थाना मुकन्दगढ के परिवाद रजिस्टर के तृतीय पार्ट के क्रम संख्या 92 दिनांक 28.02.2023 से संबंधित पृष्ठ एवं परिवादी से संबंधित परिवाद पृष्ठ संख्या 1 से 11 तक फोटो प्रति करवाकर श्री कानाराम एचसी से प्रमाणित करवाकर परिवाद रजिस्टर एवं परिवाद के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त की गई। मूल परिवाद एवं परिवाद रजिस्टर श्री कानाराम एचसी को सुपुर्द किये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही लिये गये धोवन की सील्ड शीशीयां मार्क ए–1, ए–2, सील्ड रिश्वती राशि का कागज एंव सील्ड कागज का लिफाफा मोर्क ''बी'' मुतालकीन के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी रखा गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. एवं श्री सुरेशचन्द कानि. चालक के जरिये सरकारी वाहन सुपरविजन हेतु उपस्थित थाने आये, जिन्हे हालात दर्ज किये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री बलवीरसिंह कानि. नं. 236 पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एव स्वतंत्र गवाहान के जरिये प्राईवेट वाहन घटना स्थल पहूँचा। घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होने पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना मुकन्दगढ पहूँचा। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों के एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी कानि. एवं माल वजह सबूत साथ लेकर मुकन्दगढ से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सीकर पहूँचा। आरोपी कानि. को बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अभिरक्षा में रखने हेतु रवाना किया गया।

तत्पश्चात परिवादी कृष्ण कुमार द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 17.03.2023 को परिवादी के मोबाइल नम्बर 0097333702958 से श्री बलवीरसिंह के मोबाईल नम्बर 9782447900 पर व्हाट्सअप कॉल लगवाकर वार्ता करवाई जाकर वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया तथा परिवादी की आरोपी श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं से आमने सामने हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड़ किया गया, जिसको स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से वार्ता का फर्द रूपान्तरण किया जाकर दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''सी' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी कृष्ण कुमार ने स्वंय की व आरोपी श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं की आवाजों की पहचान की है। प्रकरण से संबंधित समस्त मालवजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। परिवादी एवं गवाहान को रूखसत किया गया।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री बलवीरसिंह कानि. नं. 236 पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री कृष्णकुमार द्वारा पुलिस थाना मुकन्दगढ में दी गई परिवाद को स्वयं के द्वारा परिवाद रजिस्टर में श्री कानाराम एचसी के नाम दर्ज कर परिवाद में कार्यवाही करने की एवज में श्री सरदारमल थानाधिकारी पुलिस थाना मुकन्दगढ जिला झुंझुनूं के लिये परिवादी को साथ लेकर शुभम नाम की दुकान से पेन्ट शर्ट क्रय करना जिसके लिये परिवादी से 6000 रूपये तथा मिठाई के नाम पर 3000 रूपये तथा श्री कानाराम एचसी के नाम से 5000 रूपये कुल 15,000 रूपये दिनांक 16.03. 2023 को बतौर रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 17.03.2023 को परिवादी से 10,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना पृथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल नं. 236, पुलिस थाना मुकुन्दगढ जिला झुन्झुनूं का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री बलवीर सिंह, कानिस्टेबल के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बलवीरसिंह कानि. नं. 236, पुलिस थाना मुकन्दगढ़, जिला झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 63/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 499-502 दिनांक 18.03.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2, जयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

18.3.23
पुलिस अधीक्षक प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।